

Insolvency and Bankruptcy Board of India

No. IBBI/PR/2022/37

20th September, 2022

Press Release

Insolvency and Bankruptcy Board of India amends the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016 and Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017

The Insolvency and Bankruptcy Board of India notified the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022 ('Amendment Liquidation Regulations') and Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Second Amendment) Regulations, 2022 ('Amendment Voluntary Liquidation Regulations') on 16th September, 2022.

2. To enable better participation of stakeholders and streamline the liquidation process to reduce delays and realise better value, the amendment in Liquidation Regulations make the following major modifications:

- The Committee of Creditors (CoC) constituted during Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) shall function as Stakeholders Consultation Committee (SCC) in the first 60 days. After adjudication of claims and within 60 days of initiation of process, the SCC shall be reconstituted based upon admitted claims.
- The liquidator has been mandated to conduct the meetings of SCC in a structured and time bound manner with better participation of stakeholders.
- The scope of mandatory consultation by liquidator, with SCC has been enlarged. Now, SCC may even propose replacement of liquidator to the Adjudicating Authority (AA) and fix the fees of liquidator, if the CoC did not fix the same during CIRP.
- If any claim is not filed during liquidation process, then the amount of claim collated during CIRP shall be verified by the liquidator.
- Wherever the CoC decides that the process of compromise or arrangement may be explored during liquidation process, the liquidator shall file application only in such cases before Adjudicating Authority for considering the proposal of compromise or arrangement, if any, within thirty days of the order of liquidation.
- Specific event-based timelines have been stipulated for auction process.
- Before filing of an application for dissolution or closure of the process, SCC shall advise the liquidator, the manner in which proceedings in respect of avoidance transactions or fraudulent or wrongful trading, shall be pursued after closure of liquidation proceedings.

3. The Amendment Liquidation Regulations and Amendment Voluntary Liquidation Regulations further lay down the manner and period of retention of records relating to liquidation and voluntary liquidation of a corporate debtor or corporate person, respectively.

4. The Amendment Liquidation Regulations and Amendment Voluntary Liquidation Regulations are effective from 16th September, 2022. These are available at www.mca.gov.in and www.ibbi.gov.in.

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

सं. आईबीबीआई/पीआर/2022/37

20 सितंबर, 2022

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड नें भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 एवं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 में संशोधन किया है ।

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 ('समापन विनियम संशोधन') एवं भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 ('स्वैच्छिक समापन विनियम संशोधन') 16 सितंबर, 2022 को अधिसूचित किया है।

2. हितधारकों की बेहतर भागीदारी को सुनिश्चित करने, देरी को कम करने, बेहतर मूल्य प्राप्त करने एवं समापन प्रक्रिया को कारगर बनाने हेतु, समापन विनियम में निम्नलिखित प्रमुख संशोधन किये गए हैं:

- कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के दौरान गठित लेनदारों की समिति (सीओसी) पहले 60 दिनों में हितधारक परामर्श समिति (एससीसी) के रूप में कार्य करेगी। दावों के निर्णय के उपरांत एवं समापन प्रक्रिया शुरू होने के 60 दिनों के भीतर, स्वीकृत दावों के आधार पर एससीसी का पुनर्गठन किया जाएगा।
- परिसमापक को हितधारकों की बेहतर भागीदारी के साथ व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से एससीसी की बैठकों का संचालन करना अनिवार्य किया गया है।
- एससीसी के साथ किए जाने वाले अनिवार्य परामर्श का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब, एससीसी परिसमापक के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव न्यायनिर्णायक प्राधिकारी (एए) को दे सकता है और परिसमापक की फीस उन मामलों में तय कर सकता है जिनमें सीओसी ने सीआईआरपी के दौरान इसे तय नहीं किया है।
- यदि समापन प्रक्रिया के दौरान कोई दावा दायर नहीं किया जाता है, तो सीआईआरपी के दौरान एकत्रित दावे की राशि का परिसमापक द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
- जिन मामलों में सीओसी निर्णय लेती है कि समापन प्रक्रिया के दौरान समझौते या ठहराव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, परिसमापक केवल ऐसे मामलों में समझौते या

ठहराव के प्रस्ताव पर यदि कोई हो, विचार करने के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन, समापन आदेश के तीस दिनों के भीतर दायर करेगा ।

- नीलामी प्रक्रिया के लिए घटना-आधारित समय-सीमायें निर्धारित की गई हैं ।
- प्रक्रिया को भंग करने या बंद करने के लिए आवेदन दाखिल करने से पहले, एससीसी परिसमापक को सलाह देगा कि समापन कार्यवाही को बंद करने के बाद परिहार लेनदेन या धोखाधड़ी या गलत व्यापार के संबंध में कार्यवाही कैसे की जाएगी।

3. समापन विनियम संशोधन और स्वैच्छिक समापन विनियम संशोधन क्रमशः एक कॉर्पोरेट देनदार या कॉर्पोरेट व्यक्ति के समापन और स्वैच्छिक समापन से संबंधित अभिलेखों को संरक्षित रखने के तरीके और अवधि को निर्धारित करते हैं ।

4. समापन संशोधन विनियम और स्वैच्छिक समापन संशोधन विनियम 16 सितंबर, 2022 से प्रभावी हैं। ये www.mca.gov.in और www.ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं।
